न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 02/2022
CMS NO. : 2022/9

–: प्रार्थीगण :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. गेनाराम सिरवी पुत्र पेमाराम जाति सिरवी निवासी देवरिया, तहसील जैतारण जिला पाली।		1. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण, तहसील कार्यालय जैतारण। 2. बुधसिंह पुत्र मघसिंह 3. भंवरसिंह पुत्र मघसिंह 4. लक्ष्मणसिंह पुत्र मघसिंह 5. श्यामसिंह पुत्र मघसिंह जातियान– राजपूत निवासी– देवरिया, तहसील– जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राज. अधि., 1956

तारीख रजू:. 11/01/2022

उपस्थितः– 1. श्री धर्मेश जांगिड़, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 30/08/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जाशुदा हक व अधिकार की कृषि भूमि राजस्व मौजा देवरिया पटवार हल्का देवरिया तहसील जैतारण में खसरा संख्या 611 रकबा 18.6964 हैक्टर यानि 115–10 बीघा में 1/60 वां हिस्से की कृषि भूमि आई हुई है। नकल चालू जमाबंदी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थी की आराजी के पड़ौस में ही खातेदारी भूमि सरहद मौजा देवरिया तहसील जैतारण में खसरा संख्या 606 रकबा 22–06 बीघा भूमि आई हुई है। प्रार्थी व उसके परिवार की तथा अप्रार्थीगण संख्या 02 से लगायत 05 की भूमि मौके पर अलग अलग स्थित है तथा राजस्व रेकर्ड में भी भूमि का अलग से तरमीम शुदा है। लेकिन प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण संख्या 02 से लगायत 05 के मध्य आये दिन जमीन की सीमा (माठ) व नाप चौप को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है। प्रार्थी ने इन लड़ाई झगड़ो के कारण खसरा संख्या 606 के खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 02 से लगायत 05 के विरूद्ध दो बार आरोप पत्र भी दिनांक 20.02.2004 व दिनांक 20.08.2004 को माननीय न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब जैतारण के न्यायालय में पेश हुए तथा हाल ही में दिनांक 18.07.2021 को अप्रार्थीगण संख्या 02 से लगायत 05 ने मिलकर प्रार्थी व प्रार्थी के भाई बन्द से लड़ाई झगड़ा किया, जिस पर अप्रार्थीगण को भी 107, 151 सीआरपीसी में पाबन्द किया गया। प्रार्थी व प्रार्थी के भाई बन्द जो किराणा धन्धे के संबंध में बैंगलोर रहते है, की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 611 की कुछ भाग अप्रार्थीगण संख्या 02 से लगायत 05 ने खसरा संख्या 606 में दादागिरी से अपने में शामिल कर लिया है, जो कानूनन गलत है। खसरा संख्या 611 प्रार्थी व प्रार्थी के भाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:00:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

की शामलाती सहखातेदारी भूमि है जिसका उपयोग उपभोग सभी आपस में मिलकर राजीखुशी करते है। खसरा संख्या 611 का सीमाज्ञान करवने हेतू प्रार्थी व के भाई बन्द कानाराम व अन्य ने दिनांक 06,12.2021 को तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाकर मौके पर भूमि का नाप चौप र सीमांकन के अनुसार मौके पर पत्थरगढी व नेकमबंदी हेतू एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा सीमाज्ञान शुल्क भी जमा करवाई, लेकिन तहसीलदारजी ने उक्त प्रार्थना पत्र लेने से इंकार करते हुए कहा कि उपखण्ड अधिकारी जैतारण से आदेश करवाकर लाओ तो ही आपकी कृषि भूमि का सीमाज्ञान होगा, नही तो नही होगा। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 02 से लगायत 05 की उक्त भूमि अलग अलग खसरा नम्बरान की भूमि होने के बावजूद भी मौके पर सही नाप चौप किया हुआ नही है तथा पूर्व से मौके पर स्थापित सीमा चिह्नो को भी अप्रार्थीगण संख्या 02 से लगायत 05 ने खुर्द बुर्द कर दिया है तथा प्रार्थी द्वारा अपनी सामलाती भूमि पर पत्थर खड़े कर की जा रही तारबंदी को भी अप्रार्थीगण संख्या 02 से लगायत 05 ने रूकवा दिया है। जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 02 से लगायत 05 से निवेदन किया कि वह इस सीमा विवाद एवं नाप चौप को लेकर मौके पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नही करे एवं आपसी सहमति से सम्पूर्ण भूमि का नाप चौप करवाकर माफिक नाप के मौके पर आपसी सहमति से ही पत्थरगढी करवा लेवे परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 02 से लगायत 05 दिनांक 01.12.2021 को मौके पर नाप करने एवं माफिक नाप के पत्थरगढी करने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में अदालत श्रीमान के समक्ष यह कार्यवाही पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही करने से यह प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण 02 से लगायत 05 के सादर पेश है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 02 से लगायत 05 की उक्त भूमि अदालत हाजा के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में ही स्थित है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 02, 03 व 05 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थीगण संख्या 04 के द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 04 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि खसरा संख्या 611 की भूमि प्रार्थी गेनाराम अकेले की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होने के कथन कतई गलत होने से अस्वीकार है। बल्कि इस भूमि में लगभग 18 अन्य सहहिस्सेदार है जिन्हे प्रार्थी ने वाद पक्षकार नही बनाया है। साथ ही प्रार्थी का मुख्य विवाद अपने सहहिस्सेदारो के बीच ही है। उसके बावजूद भी प्रार्थी अनावश्यक रूप से अप्रार्थीगण से विवाद होना बता रहा है जो कतई गलत है। खसरा संख्या 606 की भूमि जवाब देहन्दागण व उनके सहहिस्सेदारो की [illegible] व सामलाती भूमि है। इस भूमि के नाप चौप व सीमाओ को लेकर [illegible] से कोई विवाद नही है। प्रार्थी ने पूर्व में पुलिस थाना जैतारण में [illegible] के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट पेश की थी जो बाद जांच के झूठी मानी गई। इस प्रकार से जवाब देहन्दागण की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का कोई हक अधिकार नही है। खसरा संख्या 611 की भूमि व खसरा संख्या 606 की भूमि के नाप चौप व माठ को लेकर न तो पूर्व में कभी विवाद हुआ था न ही वर्तमान में है। तथा जवाबदेहन्दागण द्वारा मौके पर स्थापित सीमा चिह्नो को कभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:50:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

खुर्द बुर्द नही किया है। न ही प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से नाप चौप बाबत् कोई निवेदन …… है न ही दिनांक 01.12.2021 को जवाब देहन्दागण द्वारा कोई विवाद किया है …र्थी ने केवल मनगढ्त तथ्यो के आधार पर यह झूठी कार्यवाही पेश की है जो काबिल …रिज के होने से खारिज की जावे। प्रार्थी ने खसरा संख्या 611 के सभी रेकर्डेड …बिज खातेदार काश्तकार यानि सहहिस्सेदारो को वाद पक्षकार नही बनाया है सभी …स्सेदारो को वाद पक्षकार नही बनाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से …ाबिल खारिज के है जो खारिज किया जावे।

पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। …करण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् …नेम्नानुसार है-

1. प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की ग्राम देवरिया तहसील जैतारण में स्थित खातेदारी कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 611 रकबा 18.6964 हैक्टर यानि 115-10 बीघा शामलाती भूमि आई हुई है। तथा प्रार्थी सहखातेदार है। प्रार्थी की भूमि के पड़ौस में अप्रार्थीगण की जमीन खसरा संख्या 606 रकबा 3.6098 हैक्टर यानि 22-06 बीघा आई हुई है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 02 से लगायत 05 की भूमि मौके पर अलग अलग स्थित है तथा राजस्व रेकर्ड में भी अलग से तरमीमशुदा है। लेकिन प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 02 से लगायत 05 के मध्य आये दिन जमीन की सीमा (माठ) व नाप चौप को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। अप्रार्थीगण संख्या 02 से लगायत 05 द्वारा प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 611 का कुछ भाग स्वयं के खसरा संख्या 606 में शामिल कर लिया। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 611 एवं इससे लगती अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 606 के मध्य मौके पर सीमाज्ञान करवाया जाकर नाप चौप किया जाकर पत्थरगढी व नेकमबंदी करवायी जाये।

2. अप्रार्थीगण संख्या 02, 03 व 05 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण संख्या 04 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनो का खण्डन करते हुए निवेदन किया खसरा संख्या 611 की भूमि प्रार्थी गेनाराम अकेले की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होने के कथन कतई गलत होने से अस्वीकार है। बल्कि इस भूमि में लगभग 18 अन्य सहहिस्सेदार है जिन्हे प्रार्थी ने वाद पक्षकार नही बनाया है। साथ ही प्रार्थी का मुख्य विवाद अपने सहहिस्सेदारो के बीच ही है। खसरा संख्या 606 की भूमि जवाब देहन्दागण व उनके सहहिस्सदारो की संयुक्त व सामलाती भूमि है। इस भूमि के नाप चौप व सीमाओ को लेकर अप्रार्थीगण का अपने पड़ौसियों से कोई विवाद नही है। खसरा संख्या 611 की भूमि व खसरा संख्या 606 की भूमि के नाप चौप व माठ को लेकर न तो पूर्व में कभी विवाद हुआ था न ही वर्तमान में है। प्रार्थी ने खसरा संख्या 611 के सभी रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार यानि सहहिस्सेदारो को वाद पक्षकार नही बनाया है सभी हिस्सेदारो को वाद पक्षकार नही बनाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से काबिल खारिज के है जो खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:30:13 IST
Reason: SelfAttested

3. वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख यथा जमाबंदी एवं खसरा नक्शा के अनुसार खसरा संख्या 611 रकबा 18.6964 हैक्टर यानि 115-10 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी

प्रार्थी गैनाराम के अलावा 18 अन्य सहखातेदार है तथा खसरा संख्या 611 की अविभाजित सहखातेदारी भूमि है प्रार्थी द्वारा स्वयं के अलावा अन्य 18 खातेदारान् को बतौर पक्षकार संयोजित नही किया है। अविभाजित आराजी के संबंध केवल प्रार्थी के साथ ही अन्य अप्रार्थीगण का विवाद होना स्वीकार योग्य नही है। योकि अविभाजित आराजी के संबंध में प्रत्येक सहखातेदार का अपने हक हिस्से तक ही आराजी के प्रत्येक भाग पर हक एवं कब्जा माना जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना त्र अन्य अभिलिखित सहखातेदारान् को बतौर पक्षकारान् संयोजित नही करने एवं ादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि होने के कारण स्वीकार्य योग्य नही है लेहाजा प्रार्थना पत्र खारिज/अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित नही होनें एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 30/08/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:50:13 IST
Reason: SelfAttested